उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक B / 5435 /   जबलपुर, **दिनांक 17 नवम्बर, 2016**
(तीन–18–1/2016)

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिला स्थापनाओं में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ कमांक (2) में दर्शाये गये न्यायालय उपाधीक्षक की पदोन्नति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, न्यायालय अधीक्षक के पद पर वेतनमान रूपये 15600–39100+ग्रेड पे रू0 5400 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाकर, उनकी पदस्थापना सारिणी के स्तंभ कमांक (4) में उल्लिखित जिला स्थापना पर की जाती है अर्थातः–

क्र0	**न्यायालय उपाधीक्षक का नाम**	**कहाँ से**	**कहाँ को**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री दुकौड़ीलाल विश्वकर्मा	शिवपुरी	शिवपुरी	श्री आर0 बी0 यादव, न्यायालय अधीक्षक के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर
2.	श्री दिनेश कुमार जैन	झाबुआ	ग्वालियर	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायालय अधीक्षक के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर

(ख) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की जिला स्थापना में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ कमांक (2) में दर्शाये गये न्यायालय अधीक्षक को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ किया जाता है अर्थात् :–

क्र0	**न्यायालय अधीक्षक का नाम**	**कहाँ से**	**कहाँ को**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	ग्वालियर	श्योपुर	रिक्त पद पर

....2....

(ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम की जिला स्थापना में कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ कमांक (2) में दर्शाये गये **लेखापाल की पदोन्नति** उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, न्यायालय उपाधीक्षक के पद पर, वेतनमान रूपये **5200–20200+ग्रेड पे रूपये 2800** में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाकर, उनकी पदस्थापना सारिणी के स्तंभ क0 (4) में दशार्यी गई न्यायिक जिला स्थापना पर की जाती है। **साथ ही यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि यदि संबंधित लेखापाल पदोन्नति पर जाने से इंकार करता है तो उसे उसी हैसियत से अन्य जिला स्थापना पर स्थानांतरित कर दिया जावेगा क्योंकि लेखापालों द्वारा पदोन्नति पर न जाने से संबंधित स्थापनाओं के कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बाधित होते हैं।**

क्र0	**लेखापाल का नाम**	**कहाँ से**	**कहाँ को**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री ललित माहेश्वरी	रतलाम	झाबुआ	श्री दिनेश कुमार जैन, न्यायालय उपाधीक्षक की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

17/11/16
{ **मनोहर ममतानी** }
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B / 5436
(तीन–18–1 / 2016)

जबलपुर, **दिनांक** 17 **नवम्बर, 2016**

प्रतिलिपि :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी / झाबुआ / ग्वालियर / श्योपुर / रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कृपया, संबंधित कर्मचारियों को उनकी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर, निर्देश देवें कि उनके द्वारा नई पदस्थापना पर **दिनांक 01.12.2016 (एक दिसम्बर सन् दो हजार सोलह) को** कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि कृपया संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करावें।

2. रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म0 प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
4. अनुभाग अधिकारी, जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्री दुकौड़ीलाल विश्वकर्मा, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी,
6. श्री दिनेश कुमार जैन, न्यायालय उपाधीक्षक, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ,
7. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायालय अधीक्षक, कार्या0जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
8. श्री ललित माहेश्वरी, लेखापाल, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम

को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत एवं स्थानांतरित कर्मचारी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर, इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 01.12.2016 (एक दिसम्बर सन् दो हजार सोलह) को अनिवार्य रूप से** कार्यभार ग्रहण करें।

17.11.16

{विवेक सक्सेना}
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी0ई0)

.....